



2026:AHC:47872

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7264 वर्ष 2026

श्रीमती मुद्रावती सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : कन्हैया लाल तिवारी

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि विपक्षी संख्या-2, नायब तहसीलदार, सदर, तहसील-हरैया, जिला बस्ती को नामान्तरण वाद संख्या-18954 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-टी202517140118954) को त्वरित गति से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016' के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का संज्ञान लेना उचित होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दाखिल होने पर, संबंधित प्राधिकारी को इसे विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7) निम्नानुसार है:

"(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामान्तरण के अविवादित प्रकरण का निर्णय वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर तथा विवादित नामान्तरण प्रकरण का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर कर दिया जाए और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसके कारण अभिलेख पर अंकित किए जाएंगे।"



4. उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, संबंधित प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त आवेदन को ग्रहण करे तथा विधि के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर उसका निस्तारण यथाशीघ्र, तथा वांछनीय रूप से इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कर दे, तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परस्पर प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

9 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी